

10-215

वकील उभयपक्ष उपर है। वास्ते जवाब प्रपत्र
Og R7 C.P.C. पत्रावली दि० 25-2-2015 को पेश हो

25-2-15

वकील उभयपक्ष उपर है। वास्ते जवाब प्रपत्र
Og R7 C.P.C. पत्रावली दि० 18-3-15 को
लोक अदालत में पेश हो।

18-3-15

पत्रावली पेश हुई / वकील ~~वादी~~ / वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब
बोरे पर है। अवकाश पर है / का स्थानापन्न
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 22-4-15
को पेश हो।

रीडर

22-4-15 पत्रावली पेश हुई / वकील ~~वादी~~ / वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब
बोरे पर है। अवकाश पर है / का स्थानापन्न
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 13-5-15
को पेश हो।

रीडर

13-5-15

पत्रावली पेश हुई / वकील ~~वादी~~ / वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब
बोरे पर है। अवकाश पर है / का स्थानापन्न
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 17-6-15
को पेश हो।

रीडर

17-6-15

पत्रावली पेश हुई / वकील ~~वादी~~ / वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब
बोरे पर है। अवकाश पर है / का स्थानापन्न
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 14-7-15
को पेश हो।

6358-61
317115

रीडर

14-7-2015

पत्रावली आज लोक अदालत शिविर उद्देश्यता पर पेश
हुई। वादी रामसहाय उपस्थित है। वादी ने राजीनामा
इस आशय का पेश किया है कि वह दाने को आगे
चालाना नहीं चाहेता है। इसलिये दावा वापिस लेने की
अनुमति दी जावे। वादी को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामा
स्वीकार किया जाकर वादी को यह दावा वापिस लेने की
अनुमति दी जाती है। पचा डिफ्री जारी किया जावे। पत्रा
फैसलसुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील
दारिबिल दफ्तर हो।

Handwritten signature

Ganapri
(गंगाप्रसाद गुप्ता)
सदस्य
लोक अदालत

(रवि कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगपुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) उदेईकलां
पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

रामसहाय पुत्र भौरया, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगपुरसिटी
बनाम

—वादी

1. मुकेश पुत्र चिरंजीलाल, महाजन निवासी सिन्धी कोलोनी गंगपुर सिटी
2. रणजीत पुत्र हरीसिंह, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगपुर सिटी
3. उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वीलाल, मीना निवासी विनेगा हाल वासी सालोदा
दावा बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा

—प्रतिवादीगण

मुकदमा नं. — 134/2014

वादी की ओर से वादी रामसहाय व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी — की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 14.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 14.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी

वाद के खर्चे

रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील		
जोड	जोड	

Amrinder